उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या- 67/2015/2679/92-1-2015-157आरई/2010,
दिनांक: लखनऊ: 17 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2418/62-3-2010-157आरई/2010, दिनांक 22-9-2010 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की विभागीय जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्र संख्या-272/ग्रा0अ0वि0/जॉच परिमण्डल-वाराणसी/2012-13, दिनांक 01-5-2012 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री रमाकान्त सिंह के विरूद्ध अधिरोपित कुल दोनों आरोप स्थापित पाये गये। अतएव उक्त सिद्ध पाये गये आरोपों के आलोक में तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-1384/92-2014-157आरई/2010, दिनांक 28-3-2014 द्वारा जॉच आख्या की प्रति अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उनके विरूद्ध स्थापित पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके द्वारा पत्र दिनांक 03-06-2014 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

3- उपर्युक्त सिद्ध पाये गये आरोप के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में आरोप संख्या-1 के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा जो भी अनुबन्ध/भुगतान आदि किये गये हैं, वह अवर अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखण्डीय लेखाधिकारी, प्रीआडिट क्लर्क, कैशियर आदि की संस्तुति के बाद ही किये गये हैं, परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के आरोप सिद्ध कर तकनीकी एवं प्रशासकीय वित्तीय अधिकार, जो अधिशासी अभियंता को प्राप्त है, का हनन किया गया है। इसी प्रकार आरोप संख्या-2 के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा अपने बचाव उत्तर में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कार्य में प्रयुक्त/क्रय की गयी ईंटे अनुबन्ध गठन के अनुसार आपूर्ति होने के उपरान्त ही उनका भुगतान किया गया था, परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा द्वेषभावना से प्रेरित होकर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

4- इस सम्बंध में उल्लेख किया जाना है कि अपचारी अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध सिद्ध पाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अपने अभ्यावेदन में कोई भी नवीन तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं, अपितु उनके द्वारा विषयगत प्रकरण में जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्यवाही के समय अपने बचाव उत्तर में प्रस्तुत कथनों की ही पुनरावृत्ति की गयी है। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच के समय अपचारी अधिकारी के ऊपर गठित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर एवं अन्य संगत अभिलेखों के आधार पर ही जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी है। वर्णित स्थिति में उक्त सिद्ध पाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में कोई नवीन तथ्य अथवा विचारणीय बिन्दु प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

5- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं स्थापित आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व शासकीय क्षति के संबंध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 12-6-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हुई कि श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित कुल दोनों आरोप स्थापित पाये गये हैं। आरोप संख्या-1 के अन्तर्गत अमर शहीद रामजनम गोड़ की याद में दरवाजे तक मार्ग पर खड़न्जा आदि के निर्माण हेतु अनुबंध गठन की कार्यवाही पूर्ण किये बिना भुगतान किये जाने की प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए अपचारी अधिकारी श्री सिंह को उत्तरदायी पाया गया है, जिसमें शासकीय क्षति परिलक्षित नहीं होने के बावजूद भी अपचारी अधिकारी को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने की स्थिति विद्यमान थी, किन्तु उनके पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो जाने के आलोक में उक्त स्थापित आरोप सं0-1 के संबंध में अपचारी अधिकारी को अब कोई प्रशासकीय दण्ड प्रदत्त किये जा सकने की स्थिति विद्यमान नहीं रह गयी है।

उक्त के अतिरिक्त अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप सं0-2 के संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व शासकीय क्षति के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 02-7-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हुई कि आरोप सं0-2 में उल्लिखित वाउचर सं0-45, दिनांक 11-3-2008 द्वारा 69055 ईंट का रू0 2100/- प्रति हजार की दर से कुल रू0-1,45,015.00 का भुगतान अपचारी अधिकारी द्वारा किया गया है, परन्तु मौके/साइट (कार्य स्थल) पर न तो कोई कार्य होना पाया गया है और न ही ईट पायी गयी है। इस प्रकार स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कार्य न कराने, बिना आपूर्ति के ईंट का भुगतान करने तथा भुगतान की गयी, ईंटों की खपत की पुष्टि अभिलेखों से न होने के कारण कुल शासकीय क्षति रू0-1,45,015.00 के लिए अपचारी अधिकारी श्री सिंह को उत्तरदायी पाया गया है।

6- उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्य पोषणीय न होने के कारण उसे अस्वीकार करते हुए प्रकरण में हुई कुल शासकीय क्षति रू0-1,45,015.00 की वसूली अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्तिक देयकों और सेवानिवृत्तिक देयकों से उक्त वसूली न हो पाने की दशा में सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपचारी अधिकारी श्री सिंह के विरूद्ध सिविल लायवेल्टी के रूप में उक्त शासकीय क्षति की वसूली करने का अनन्तिम दण्ड का विनिश्चय किया गया।

7- उपर्युक्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या-2943/92-2014-157आरई/2010, दिनांक 07-7-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद की सहमति की अपेक्षा की गयी। श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के विरूद्ध विभागीय जॉच से संबंधित अनेक प्रकरण लम्बित होने के दृष्टिगत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-100/7/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 12-9-2014 एवं पत्र संख्या-100(1)/7/एडीसी/ एस-12/14-15, दिनांक 30-9-2014 के माध्यम से समेकित अर्थदण्ड का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या-5276/92-2014-164आरई/2010, दिनांक 24-12-2014 के माध्यम से श्री रमाकान्त सिंह के विरूद्ध समेकित रूप से कुल 07 अनुशासनिक कार्यवाहियों में शासन द्वारा अनन्तिम विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद की सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

8- उपरोक्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-146/07/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 03-03-2015 के माध्यम से अपचारी अधिकारी के विरूद्ध संस्थित सात विभागीय जॉचों में समेकित रूप से प्रस्तावित शास्ति, श्री सिंह के सेवानिवृत्तिक देयकों से रू0-14,38,611.00 (ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की धनराशि) की एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0-1,15,10,178.00 (रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख दस हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) की वसूली हेतु सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपचारी अधिकारी के विरूद्ध सिविल लायवेल्टी के रूप में उक्त शासकीय क्षति की वसूली करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किये जाने के अनन्तिम विनिश्चित दण्ड पर आयोग द्वारा अपनी सहमति उपलब्ध करायी गयी है।

9- एतदर्थ, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा समेकित रूप से उपलब्ध करायी गयी उपर्युक्त सहमति के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में हुई शासकीय क्षति के लिए श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्नवत् दण्डित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2418/62-3-2010-157आरई/2010, दिनांक 22-9-2010 द्वारा उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के नियम-351-ए के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा विषयगत प्रकरण में पहुंचायी गयी कुल शासकीय क्षति रू0-1,45,015.00 की वसूली उनके सेवानिवृत्तिक देयकों से करने, यदि यह धनराशि उनके सेवानिवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना सम्भव न हो, तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-67/2015/2679(1)/92-1-2015, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे नियमानुसार अपचारी अधिकारी से उपर्युक्त शासकीय क्षति की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
2- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी।
4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया।
5- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-146/07/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 03-03-2015 के संदर्भ में।
6- श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-बलिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in